हमारी बात

पिछले कई दशकों में महिलाओं के अधिकारों को कानून के माध्यम से आगे ले जाने के विमर्श ने ज़ोर पकड़ा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा कानून और हाल ही का कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाली यौन हिंसा को सम्बोधित करने वाला कानून इस राह में मील के पत्थर साबित हुए हैं। इस सबके बावजूद कानूनी सिद्धातों और महिला अधिकारों का आपसी ताना-बाना विरोधाभासों व जटिलताओं से घिरा है।

कानून, इंसाफ़ और जेंडर नारीवादी विमर्श में अहम सरोकार रहे हैं। आम सोच यह है कि महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बना देने से न्याय का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। पर सच्चाई इससे कोसों दूर है।

सही मायने में इंसाफ़ तभी किया जा सकता है जब समाज में असमानता और भेदभाव मिटाने के लिए सक्रिय कदम उठाए जाएं। जब तक महिलाओं को समाज में बराबरी के मौके व दर्जा नहीं मिलता सामाजिक न्याय की कल्पना करना मुश्किल है। महिलाओं के लिए भी कानून और इंसाफ़ के मायने सिर्फ़ उनके दावों को कानूनी मान्यता मिलने से नहीं है। असल चुनौती तो यह है कि पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचों तथा महिलाओं के जीवन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए औपचारिक व अनौपचारिक कानून की व्याख्या की जाए। हम सबला का यह अंक कानून व महिलाओं के आपसी संबंधों को उजागर करने का प्रयास है।

यह भी माना जाता रहा है कि क्योंकि कानून का उद्देश्य न्याय करना है इसलिए अगर कानून में कोई कमियां है तो उनमें संशोधन लाकर इस लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। परन्तु सही मायने में न्याय व समता पर आम सहमति बनाना मुश्किल होता है। किसी एक व्यक्ति के साथ किया जाने वाला न्याय किसी दूसरे के साथ अन्याय और भेदभाव के रूप में देखा जा सकता है। कानून बनाने के समय अक्सर सत्ताधारी वर्ग के न्याय के मानक को ही सही मान लिया जाता है जिसके नतीजतन समाज के हाशियेदार और अरक्षित तबकों के साथ नाइंसाफ़ी होती है।

नारीवादी सिद्धांत को अनुसरण करने वाले पक्षों का विचार है कि कानूनी, नैतिक व सामाजिक मानदण्ड पितृसत्तामक विचारधारा पर आधारित होते हैं। लिहाज़ा महिलाओं के लिए इंसाफ़ के मानकों को कानून के अंतर्गत निष्पक्षता, समदर्शिता और औपचारिक समानता के संबंध में ही आंका जाना चाहिए।

इस अंक में हम उपर्युक्त विचारों को महिलाओं के अनुभवों, कानूनी व्याख्याओं, फ़ैसलों, नई बहसों और विमर्शों के दायरे में समझने की कोशिश कर रहें हैं। लेखों के माध्यम से घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल व सार्वजनिक जगहों पर औरतों की सुरक्षा, काम व नई सरकारी नीतियां, यौनिक पहचान व कानूनी हक़ तथा महिलाओं के लिए न्याय प्रणाली के मायने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की भी समीक्षा की जा रही है। हमें उम्मीद है कि इस अंक के ज़रिए हमें महिलाओं के अधिकारों को और अधिक बारीकी से समझने और कानून पर एक आलोचनात्मक नज़रिया विकसित करने में मदद मिलेगी।

जुही